"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022—कार्तिक 27, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-12/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 15/1/2022-EO (MM-I), दिनांक 12-08-2022 के तारतम्य में श्री नीरज कुमार बनसोड, भा.प्र.से. (2008), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश पर्यन्त, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को निदेशक, केबिनेट सचिवालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्रमांक 2744/एफ 26/01/2022/13/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 जारी करती है :—

1. **नोडल एजेंसी :—** छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत परियोजना स्थल का चयन, चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर (CSPGCL) राज्य की अधिकृत नोडल एजेंसी होगी.

2. **परियोजना स्थल के चिन्हांकन की प्रक्रिया :—** राज्य की नोडल एजेंसी (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड) द्वारा स्वयं के स्रोतों से सर्वे एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी. ऐसी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजनाएं कहलायेगी.

3. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास :—** पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निम्न माध्यमों से की जा सकेगी :—

(1) राज्य शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) द्वारा स्वयं निवेश द्वारा.

(2) राज्य शासन की अनुमति से नोडल एजेंसी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम का गठन के माध्यम से.

(3) खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी परियोजना विकासकर्ता का चयन कर परियोजना का आबंटन के माध्यम से.

4. **पात्रता, शुल्क तथा आबंटन की प्रक्रिया :—**

4.1 **पात्रता—**

(1) किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में पंप स्टोरेज आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी. आवेदक को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए.

(2) प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक के नेटवर्थ, टर्नओव्हर, अनुभव आदि अर्हताएं नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी.

4.2 **शुल्क—**

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु आवेदन के साथ रुपये 50 प्रति किलोवाट की दर से आवेदन शुल्क, न्यूनतम रुपये 5,00,000 का शुल्क राज्य शासन के खाते में जमा करना होगा.

(2) **पम्प स्टोरेज परियोजना हेतु हरित ऊर्जा विकास शुल्क :—** परियोजना विकासकर्ता को परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से हरित ऊर्जा विकास शुल्क का भुगतान राज्य शासन को करेंगे, प्रत्येक 5 साल के बाद शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति आबंटिती/ परियोजना विकासकर्ता द्वारा नोडल एजेंसी को किया जाना होगा.

(4) उपरोक्त शुल्क आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत टैरिफ पॉलिसी के मापदण्डों के अनुरूप देय शुल्क/चार्ज के अतिरिक्त होगी. आवेदक द्वारा राज्य शासन को भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा.

(5) परियोजना के विकास हेतु नोडल एजेंसी द्वारा विकासकर्ता से परफार्मेन्स गारंटी के रूप में समुचित राशि जमा कराई जावेगी. परियोजना के आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी एवं परियोजना विकासकर्ता के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जायेगा तथा परियोजना के निर्माण एवं उत्पादन हेतु माईल स्टोन चरणबद्ध समय-सीमा निर्धारित कर समीक्षा की जा सकेगी. परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर उन्हें आवंटित परियोजना को निरस्त करते हुए परफार्मेन्स गारंटी के रूप में जमा की गई राशि राजसात की जा सकेगी.

4.3 **आवंटन की प्रक्रिया :—** पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी परियोजना विकासकर्ता का चयन कर किये जाने हेतु परियोजना के आबंटन के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया रहेगी :—

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजना हेतु स्वयं के स्रोतों से परियोजना का साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जावेगा. उक्त परियोजना का विकास नोडल एजेंसी द्वारा निविदा आधारित पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकेगी.

(2) निविदा आधारित आबंटन प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदकों का चयन निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर परियोजना के आबंटन हेतु नोडल एजेंसी राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करेगी, जिस पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा परियोजना का आबंटन किया जावेगा. आवंटन हेतु राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

(3) पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत दिनांक 28 जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के "बिन्दु 5 टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण' की कंडिका 5.1 में उल्लेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी खुली बोली प्रक्रिया के अनुसार तथा कंडिका 5.5 में उल्लेखित आवंटन की पारदर्शी द्विस्तरीय प्रक्रिया अनुसार होगा.

4.4 **आवंटन की सीमा :—**

(1) आवेदक कम्पनी को एक समय में अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन किया जाएगा.

(2) अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित है.

(3) किन्हीं दो कम्पनियों के समान निदेशक होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा.

5. **पंप स्टोरेज आधारित परियोजना से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का विकास :—**

5.1 पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की आवश्यकता होने पर उक्त लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियॉ एवं विद्युत प्रणाली के विकास का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से निकटतम राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राजीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर रहेगा.

5.2 निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी. लेकिन इस हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.

6. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर रायल्टी :—** पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर जल संसाधन विभाग द्वारा लागू नियमानुसार रायल्टी अधिरोपित रहेगी.

7. राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति तथा भारत सरकार की नीति में प्रावधानानुसार रियायतें/सुविधाएं की पात्रता रहेगी.

8. **पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आवंटनः—**

8.1 यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता है तो उसके आवंटन हेतु शासन के नियमानुसार भू-आबंटन की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को एसआईपीबी/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.2 यदि परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.3 परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके.

9. **पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनाः—**

9.1 जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर है. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

9.2 पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत आयोग, भारत सरकार (Central Electricity Authority) एवं अन्य सम्बन्धित मंत्रालय/विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु उक्त आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

10. पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा घोषित सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी.

11. **पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय-सीमा :—** परियोजना विकासकर्ता को परियोजना आवंटन की तिथि से 12 माह के भीतर परियोजना के विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित करना होगा तथा वित्तीय लेखाबंदी उपरांत अधिकतम 24 माह की अवधि में परियोजना का निर्माण प्रारंभ करना होगा और निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 48 माह की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना होगा. आवेदक द्वारा वित्तीय लेखाबंदी अथवा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय-सीमा जो भी पहले हो, का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा.

12. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :—** विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 का अनुपालन करते हुये दिनांक 28 जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के अनुसार पम्प स्टोरेज परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय टैरिफ नीति के "बिन्दु 5 टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण' की कंडिका 5.1 में उल्लेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा खुली बोली प्रक्रिया के अनुसार होगा. पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत क्रय करने का प्रथम अधिकार राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को होगा जो कि इकाई के लिए बंधनकारी होगा. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का विक्रय कर सकेगा.

राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया जाएगा.

13. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा :—** राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की नियमित समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी.

14. **पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना आवंटन आदेश का हस्तांतरण :—** सामान्यत: परियोजना का आवंटन अहस्तांतरणीय है. अत: इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है. तद्नुसार परियोजना के आवंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे :—

14.1 यदि परियोजना का आवंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने को तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को परियोजना का अंतरण राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

14.2 यदि परियोजना का आवंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आवंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक आवंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में कोई भी परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

14.3 परियोजना विकासकर्ता को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन उक्त एसपीव्ही को आवंटित परियोजना के विकास के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूंजी कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है.

14.4 परियोजना की स्थापना हेतु जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया जा सकेगा.

15. राज्य में पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्षों तक प्रभावशील रहेंगे.

16. इस अधिसूचना में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा.

17. उक्त अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्रमांक एफ 10-4/2019/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 की धारा-17(ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये "प्राधिकृत अधिकारी" नियुक्त करता है.

No. F 10-4/2019/16.—In exercise of the powers conferred by section 17(b) of the Chhattisgarh Industrial employment (Standing Order) Act, 1961 the State Government hereby appoints Deputy Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar, District-Raipur as "Authorized Officer" for the whole of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 714 क/कले./भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सागुनढाप टुकड़ा राजा कटेल प.ह.नं. 45	कुल खसरा - 3 रकबा 0.22 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत दॉयी मुख्य नहर निर्माण के चौड़ीकरण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई गुरूवार दिनांक 20-10-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सागुनढाप तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत दॉयी मुख्य नहर निर्माण के चौड़ीकरण कार्य से 1980 हे. क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना के दांयी तट नहर से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.

10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि रु. 14068.43 किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं. चौकी, दिनांक 3 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1050/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोहला-मानपुर-अं. चौकी	मोहला	दनगढ़ प.ह.नं. 17/कृषकों की संख्या 35	0.750 हे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि. राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग के अनुसार ग्राम दनगढ़ की भूमि बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खडगांव मार्ग पर उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत ग्राम दनगढ़ की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-11-2022 को समय 11.00 AM से 3.00 PM बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन दनगढ़ पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि. राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग के अनुसार ग्राम दनगढ़ की भूमि बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खडगॉव मार्ग पर उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत ग्राम दनगढ़ की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	35
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक

(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.		निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन में सुविधा
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्रमांक 715 क/कले./भू-अर्जन/1 अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	लखनपुर प.ह.नं. 46	1.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, महासमुन्द.	बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के बांयी मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्रमांक 3751/वा/भू.अ./अ.वि.अ./2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुरा प.ह.नं. 57	150.75	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्र.-1, रायपुर (छ.ग.).	मंडल कालोनी पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में प्रवेश के लिए रोड हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्रमांक/12601/भू-अर्जन/2022.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित किया गया था. कोरोना (Covid-19) महामारी के कारण लॉकडाउन होने के कारण निर्धारित समयावधि धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं किया जा सका है. अतएव अधिनियम की धारा 19 उपधारा (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष समयवृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	कसनिया प.ह.नं. 44	4.867	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा (छ.ग.).	कटघोरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्रमांक/12602/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कसनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.867 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209	0.097
210/2	0.142
212/1	0.040
213/1, 213/2	0.004
392/1	0.073
214	0.041
295	0.121
273	0.189
294/2	0.113
402	0.061
255/2ख, 256/2ख	0.053
291/2	0.040
283/1क/2	0.069
283/1क/1	0.053
256/3क	0.045
439/1	0.028
292/2क	0.069
292/2ख	0.125
256/1	0.162
265/1	0.004
296	0.117
294/3ख	0.024
294/1ग/2	0.008
294/1ढ	0.040
291/3	0.004
294/1ठ	0.040
272/1, 272/2	0.197
294/1घ/2	0.040
292/2ग	0.105
285/1क	0.045
289/4	0.040
284/2	0.024
285/2क	0.032
284/1	0.142
285/2ख	0.032
285/1ग	0.069
377	0.183
382	0.020
383	0.101
381	0.121
380	0.049
391	0.170
398	0.020
401	0.081
416	0.016
404	0.004
285/2ग	0.032
255/1	0.085
255/5	0.048
255/6	0.048
255/7	0.048
255/4	0.085
274/1	0.012
406/7	0.012
421/2	0.008
420/2	0.085
415	0.085
417	0.041
418	0.008
419/1	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
422/1	0.039	392/2	0.073
438/3	0.145	योग	4.867
438/1	0.024		
256/2	0.049		
394/3	0.183		
394/2	0.183		
439/2	0.032		
48/12क	0.202		
294/1/क	0.049		
376	0.036		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नगर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2111.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/2122 दिनांक 08-07-2021 द्वारा श्री ललितादित्य नीलम, सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री ललितादित्य नीलम, सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला जिला-राजनांदगांव के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री अवध चुरेन्द्र	अध्यक्ष
2.	श्री उदयराम साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री तीरथराम यादव	सदस्य
4.	श्री डरेहा राम मेश्राम	सदस्य
5.	श्री निखिल देशमुख	सदस्य
6.	श्री घसिया राम नाग	सदस्य
7.	श्री मदन कामले (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2306.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2079 दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द में नियुक्त की गई भारसाधक समिति के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री गब्बर चन्द्राकर के स्थान पर श्री जब्बर चन्द्राकर को भारसाधक समिति का सदस्य नियुक्त करता हूं.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2308.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2137 दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा जिला-कबीरधाम में नियुक्त की गई भारसाधक समिति के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री लाला पटेल के स्थान पर श्री भागवत पटेल तथा श्री दिनेश मानिकपुरी के स्थान पर श्री आनंद ओग्रे को भारसाधक समिति का सदस्य नियुक्त करता हूँ.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2402.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2205 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ जिला-रायगढ़ में नियुक्त की गई भारसाधक समिति के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री हेमलाल यादव अध्यक्ष" के स्थान पर "श्री हेमलाल साव" को अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ.

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 21 जुलाई 2022

क्रमांक/8170/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुये जिला मुख्यालय में पदस्थ/कार्यरत निम्नांकित कॉलम नंबर 2 में दर्शित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 3 में दर्शाये अनुसार कार्य संपादित करने हेतु एतद्द्वारा अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्य सौंपा जाता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	सौंपे गये कार्य का विवरण (3)
1.	श्री नूतन कंवर, रा.प्र.से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा.	जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, कलेक्टर के समक्ष निम्न विभागों की समस्त नस्तियों का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावेगा. ● सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ● जिला लोक शिक्षा समिति ● कृषि एवं उद्यान विभाग ● पशु चिकित्सा विभाग/दुग्ध डेयरी ● मत्स्य विभाग ● पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ● ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ● रेशम विभाग ● ग्राम सुराज/लोक सुराज ● जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर ● जिला साक्षरता विभाग ● खादी ग्रामोद्योग एवं हथकरघा ● नरूवा, गरूवा, घुरवा एवं बारी ● गोधन न्याय योजना ● वृक्षारोपण कार्यक्रम ● कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

(1)	(2)	(3)
2.	श्री प्रभाकर पाण्डेय, रा.प्र.से. आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा.	**प्रभारी अधिकारी :—** ● स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, ● (जिला शहरी विकास अभिकरण) डूडा. ● मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगरीय निकाय की नस्ती ● कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
3.	श्री विजेन्द्र सिंह पाटले (रा.प्र.से., संयुक्त कलेक्टर) (अपर कलेक्टर का प्रभार)	**(अ) दाण्डिक :—** ● अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कोरबा (सम्पूर्ण जिला) ● नजूल पट्टो का नवीनीकरण पर नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण. ● राजस्व अनुविभाग/तहसील के अधीनस्थ न्यायालयों एवं कार्यालयों की व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण. ● अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम ● हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी. **(ब) प्रभारी अधिकारी :—** ● लायसेंस ● पासपोर्ट ● जनगणना **(स) कार्यालयीन नोडल अधिकारी :—** ● स्थानीय निर्वाचन एवं सामान्य निर्वाचन ● वित्त स्थापना ● भू-बंटन ● भू-अर्जन/पुनर्वास शाखा ● नजूल शाखा ● भू-अभिलेख शाखा ● जिला विभागीय जांच अधिकारी कोरबा ● वरिष्ठ लिपिक शाखा ● अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा ● व्यवहारवाद शाखा ● छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 यथा संशोधित अधिनियम 2015. ● नगर सेना ● लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा के उत्तर समय पर भिजवाना. ● रेल कारीडोर परियोजना ● **शिकायत शाखा** 1. विशेष कक्ष 2. जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं पीजीएन 3. मुख्यमंत्री जनदर्शन (जन-चौपाल) एवं कलेक्टर जनदर्शन (जन-चौपाल) 4. समय-सीमा बैठक की संपूर्ण जानकारी

(1)	(2)	(3)

- राजस्व आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा (कोविड-19 के प्रकरण), राजस्व पुस्तक परिपत्र-6-4 के प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति आदेश कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में निराकरण करेंगे.
- अज्ञात वाहन/सड़क दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों का अंतिम स्वीकृति आदेश कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे.
- संजीवनी कोष के प्रकरणों में भाग-2 पर कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत
- उपरोक्त शाखाओं/कार्यालयों की नस्तियों का परीक्षण उपरांत कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे.
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

(द) विविध नोडल अधिकारी :—

- सत्कार शाखा के कार्यों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण
- प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना
- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/लोक निर्माण (भवन-सड़क)/सेतु निर्माण.
- जिला पंजीयक
- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं
- राजीव गांधी आश्रय योजना
- जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
- चिप्स/लोक सेवा केन्द्र/एन.आई.सी.
- खाद्य शाखा
- आदिवासी विकास विभाग
- गृह निर्माण मंडल
- श्रम विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- शिक्षा विभाग
- होमगार्ड
- रोजगार कार्यालय
- नागरिक आपूर्ति निगम
- मार्कफेड
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगरीय निकाय की नस्ती.

(ई) निम्नलिखित शाखाओं की नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करेंगे :—

- शासकीय कर्मचारियों के लिए उत्तराधिकार/संरक्षण प्रमाण-पत्र जारी करना.
- तहसीलदार / अधीक्षक / सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, जिला कार्यालय स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड-2 एवं 3 व भृत्य के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम/आंशिक आहरण तथा अन्य समस्त देयकों की स्वीकृति एवं अवकाश स्वीकृति.

(1)	(2)	(3)
		• सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक/लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि/ समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि भुगतान. ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो. • शासन के नियमों व निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पी.ओ.एल. एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति. • छ.ग. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रुपये 20,000/- तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय के स्वीकृति के अधिकार. • कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.
4.	श्री अवध सिंह राणा, रा.प्र.से. संयुक्त कलेक्टर	**प्रभारी अधिकारी :—** • मुख्यमंत्री घोषणा • आवक जावक • बैंक से संबंधित समस्त कार्य (लीड बैंक नोडल) • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी • 20 सूत्रीय 15 सूत्रीय • दंगा पीड़ित 1984 • प्रपत्र लेखन एवं मुद्रण (प्रपत्र शाखा) • अल्प बचत • प्रतिलिपि शाखा • अभिलेख प्रकोष्ठ (राजस्व एवं आंग्ल) • हेल्प डेस्क • सिटीजन हेल्पलाईन • पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति • रेंट कंट्रोल • शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना • नापतौल विभाग • तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003 • ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र • छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 • सांख्य लिपिक • राजस्व आंकिक • दस्तावेज प्रमाणित शाखा • नवोदय विद्यालय • केन्द्रीय विद्यालय • नापतौल विभाग • उच्च/शिक्षा तकनीकी शिक्षा • कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

(1)	(2)	(3)
		नोडल अधिकारी :— ● चरित्र सत्यापन ● यातायात जिला सड़क सुरक्षा ● औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ● जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ● जल संसाधन विभाग ● जिला पर्यावरण संरक्षण मण्डल ● सार्वजनिक उपक्रमों से समन्वय संबंधी कार्य ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.
5.	श्री भरोसा राम ठाकुर, रा.प्र.से., डिप्टी कलेक्टर	**प्रभारी अधिकारी :—** ● वित्त एवं स्थापना ● भू-अर्जन/पुनर्वास एवं रेल कारीडोर ● जिला नाजिर शाखा ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.
6.	सुश्री सीमा पात्रे, रा.प्र.से., डिप्टी कलेक्टर	**प्रभारी अधिकारी :—** ● नजूल शाखा ● वरिष्ठ लिपिक एवं अति वरिष्ठ लिपिक ● आकांक्षी जिला ● **शिकायत शाखा** 1. विशेष कक्ष (प्रधानमंत्री, मु. मंत्री जनदर्शन (आनलाईन) अन्य मंत्री से प्राप्त शिकायत. 2. जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं पीजीएन 3. मुख्यमंत्री जनदर्शन (जन-चौपाल) एवं कलेक्टर जनदर्शन (जन-चौपाल) ● भू-बंटन ● विभागीय जांच ● अल्प संख्यक ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य. **नोडल अधिकारी :—** ● जिले में समय-समय में होने वाली मेगा कैम्प आयोजन हेतु ● लाईवलीहुड कालेज. ● नगर एवं ग्राम निवेश. ● परिवहन विभाग ● समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांग ● कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.
7.	श्री मनोज कुमार खाण्डे, रा.प्र.से. डिप्टी कलेक्टर	**प्रभारी अधिकारी :—** ● सिटी मजिस्ट्रेट ● परीक्षा शाखा ● भू-अभिलेख शाखा ● सामान्य/स्थानीय निर्वाचन ● व्यवहारवाद शाखा ● राजस्व आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा (संबंधित शाखा की समस्त नस्ती अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे.)

(1)	(2)	(3)
		• जन सूचना अधिकारी - कार्यालय कलेक्टर कोरबा • FRA एवं FCA प्रमाण पत्र जारी करने व उससे संबंधित प्रकरणों को निराकरण करने हेतु. • समय-सीमा बैठक की संपूर्ण जानकारी • सहायक अधीक्षक राजस्व व कार्यालय निरीक्षण • छ.ग. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 • लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर समय पर तैयार कर नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. • आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा ली जाने वाली मिटिंग एवं अन्य मिटिंग हेतु संधारित होने वाली जानकारी भेजना. • समय-सीमा बैठक की सम्पूर्ण जानकारी **नोडल अधिकारी :—** • वक्फ बोर्ड • कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य

टीप :—

1. जिला कोरबा के अनुविभाग कोरबा, कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा एवं पाली के अंतर्गत तहसील अंतर्गत आने वाले समस्त तहसीलों के छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत् प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जावेगी.

2. अन्य समस्त विषय/मामले जो किसी भी अधिकारी को आवंटित न हो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा द्वारा सम्पादित किया जावेगा.

3. जिन मामलों में कलेक्टर के Personal Designation अधिकार प्रत्यायोजित हैं, वे सभी नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत होंगी.

4. राज्य शासन व उच्चाधिकारियों को अभिमत भेजे जाने वाले समस्त पत्र कलेक्टर के माध्यम से भेजे जावेंगे.

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा तथा अपर कलेक्टर अपने-अपने प्रभार के सभी कार्यों का समय-समय पर मॉनिटरिंग करेंगे तथा कलेक्टर को अवगत करायेंगे.

6. सभी शाखाओं के स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदस्थापना, शासन एवं उच्चाधिकारियों को भेजे जाने वाले अर्द्ध शासकीय पत्र नीतिगत मामलों एवं वरिष्ठ कार्यालयों को अभिमत भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों की नस्तियां अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत की जावेंगी.

7. सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अपने-अपने अनुभाग के भाड़ा नियंत्रक एवं लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत सक्षम अधिकारी होंगे.

8. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा की अनुपस्थिति की दशा में कलेक्टर कोरबा के चालू प्रभार में अपर कलेक्टर जिला कोरबा रहेंगे.

9. जिला मुख्यालय में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/आयुक्त, नगर पालिक निगम/अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में लिंक ऑफिसर की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी.

क्र. (1)	अधिकारी का नाम व पदनाम (2)	संयोजन अधिकारी का नाम (3)
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा	आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा
3.	श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा
4.	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा
5.	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर कोरबा	श्री मनोज कुमार खाण्डे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा
6.	सुश्री सीमा पात्रे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा	श्री मनोज कुमार खाण्डे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा
7.	श्री मनोज कुमार खाण्डे, डिप्टी कलेक्टर	सुश्री सीमा पात्रे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा
8.	जिला प्रोटोकाल अधिकारी कोरबा	श्री मनोज कुमार खाण्डे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा

10. यदि किसी कारणवश प्रभारी/लिंक अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी कार्य संपादित करेंगे.

11. उक्त संयोजन अधिकारी केवल कलेक्टर कार्यालय के शाखाओं के लिए ही रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संजीव कुमार झा,
कलेक्टर.

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्रमांक 1041/भोपालपट्नम व.भू./न.ग्रा.नि./2022.—भोपालपट्नम के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 05-08-2022 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने अपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यत: उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. जिला कलेक्टर, बीजापुर (छ.ग.)
2. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
3. नगर पंचायत भवन भोपालपट्नम (छ.ग.)

No. 1041/Bhopalpattnam.E.L.U./T&CP/2022.—The existing land use map for Bhopalpattnam, was Published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 05-08-2022 and objections and suggestions were invited from the public under the provisions of sub-section (2) of the said section. After giving reasonable opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered desirable, are made therein.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following officers of :—

(1) District Collector, Bijapur (C.G.)
(2) Deputy Director, Town and Country Planning Regional Office Jagdalpur (C.G.)
(3) Nagar panchayat, Bhopalpattnam (C.G.)

आलोक चन्द्र बैसवाडे,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, 28 सितम्बर 2022

प्रारूप-II
[नियम 5(1) देखें]

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम पासल, तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर में कुल 1.010 हे. भूमि अपेक्षित है, आवेदक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र सूरजपुर, सामाजिक सामाघात मुल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) :—

औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार कुटुम्बों के विस्थापित होने कि संभावना नहीं है, विस्थापन निरंक है.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है. अत: जिला सूरजपुर, तहसील भैयाथान के ग्राम पासल में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 1.010 हे. माप के भूखंड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	249	शासकीय पट्टा	ड़ाड	0.205	जिरमन बेवा रतन, रघु पीताम्बर आ. रतन, शान्ति पुत्री रतन, संतोषी पुत्री रतन निवासी ग्राम पासल, भैयाथान	खसरा क्र. 250	खसरा क्र. 248	खसरा क्र. 253/1	कच्ची सड़क
2.	252	भूमि स्वामी	ड़ाड	0.015	बउधा आ. समेलाल भुनेश्वरी पुत्री समेलाल निवासी पंडोपारा चन्द्रपुर सूरजपुर	खसरा क्र. 253/2	खसरा क्र. 253/1	खसरा क्र. 253/3	खसरा क्र. 253/1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	253/1	भूमि स्वामी	ड़ाड	0.340	रघुनाथ आ. हिरासाय पंडोपारा निवासी ग्राम पासल, भैयाथान	खसरा क्र. 253/2	खसरा क्र. 255/3	खसरा क्र. 252, 253/3	खसरा क्र. 248, 249
4.	255/2	भूमि स्वामी	ड़ाड	0.450	नन्दलाल आ. बुधराम निवासी ग्राम पासल, भैयाथान	खसरा क्र. 255/1, 253/1	खसरा क्र. 256/2	खसरा क्र. 260 नदी	खसरा क्र. 255/3
				1.010					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
महुआ	02
आम	01
साल	01
पीपल	01
परसा	01

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह अधिसूचना इसमें संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

इफ्फत आरा,
कलेक्टर.